विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों

के लिए

राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना

संसदीय कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

2016

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों
के लिए
राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना

1. <u>युवा संसद योजना का उद्देश्य</u>

प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने, अनुशासन की स्वस्थ आदतों को डालने, दूसरों के विचारों के प्रति उदारता तथा विद्यार्थी-वर्ग को हमारे संसदीय संस्थानों के कार्यचालन की जानकारी कराने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्रालय ने पूरे देश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना को प्रारम्भ किया है। इन प्रतियोगिताओं को वार्षिक आधार पर प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के दौरान आयोजित किया जाता है।

2. <u>प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए पात्रता</u>

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, जो प्रतियोगिता प्रारम्भ होने से पूर्व, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने अधिकारी नामित करते हैं, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र होंगे। **संसदीय कार्य मंत्रालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी अतिरिक्त संस्था को जोड़ सकता है।**

3. <u>प्रतियोगिता का स्वरूप (फार्मेट) और अवधि</u>

प्रतियोगिता आम तौर पर भाग लेने वाली संस्थाओं की संख्या पर निर्भर करते हुए दो चरणों में आयोजित की जाएगी - पहला चरण ग्रुप स्तर पर होगा जहां संस्थाओं को विभिन्न ग्रुपों में बांटा जाएगा और दूसरा चरण विभिन्न ग्रुपों के विजेताओं के बीच राष्ट्रीय स्तर पर होगा।

प्रत्येक वर्ष के लिए गतिविधियों का कलैंडर निम्न प्रकार है:-

(i) अभिविन्यास पाठ्यक्रम जनवरी/फरवरी तक
(ii) ग्रुप स्तर अर्थात पहले स्तर का मूल्यांकन सितंबर तक
(iii) राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन दिसंबर तक
(iv) पुरस्कार वितरण समारोह मार्च तक

ग्रुप और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता की समय तालिका को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा और पूरी प्रतियोगिता उसी शैक्षिक वर्ष के अन्दर आयोजित की जाएगी। भाग लेने वाली प्रत्येक संस्था अपने **50-55** विद्यार्थियों की एक टीम तैयार करेगी जो संस्था का प्रतिनिधित्व

करने वाली टीम के रूप में भाग लेगी। (ग्रुप स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय भाग लेने वाली संस्थाओं में से एक समन्वयक नामित कर सकता है जो उस ग्रुप के संबंध में प्रतियोगिता का संचालन और समन्वय करेगा तथा उसकी रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।) ***ग्रुप समन्वयक बनने के लिए इच्छुक प्रतिभागी अभिविन्यास पाठ्यक्रम से पहले अनुबंध-ग में दिए गए प्रारूप में अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। उन्हें अपने ग्रुप में शैक्षिक संस्थाओं के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए हवाई यात्रा के सबसे सस्ते किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।***

युवा संसद गतिविधि का समन्वयक **अनुबंध "घ" और "ड." में क्रमश:** ग्रुप और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए तीन संभावित तारीखों का भी उल्लेख करेगा।

4. <u>युवा संसद की बैठक की अवधि</u>

'युवा संसद' की बैठक की अवधि 55 मिनट से अधिक की नहीं होनी चाहिए। इसमें से लगभग 20 मिनट प्रश्नों पर लगाए जाएं और शेष समय का उपयोग विधेयकों, प्रस्तावों, संकल्पों आदि पर चर्चा करने के लिए किया जाए जैसा कि इस विषय पर साहित्य में दर्शाया गया है जिसे प्रत्येक प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पूर्व संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रम के दौरान उपलब्ध करा दिया जाएगा।

5. <u>'युवा संसद सत्र' में चर्चा के लिए विषय</u>

'युवा संसद सत्र' में उठाए गए मामले कल्याणकारी कार्यकलापों, ***रक्षा, सामाजिक सुधार,*** आर्थिक विकास, साम्प्रदायिक सद्भाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, ***आंतरिक सुरक्षा, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग*** आदि से संबंधित हो सकते हैं। मानव अधिकारों, **स्वास्थ्य और शिक्षा** से संबंधित विषयों पर विशेष बल दिया जाए। इस संबंध में सुझाए गये विषयों की सूची जिन पर मदें प्रस्तुत की जा सकती है **<u>अनुबन्ध-क</u>** पर दी गई है।

भाषणों में राजनीतिक दलों अथवा नेताओं/व्यक्तियों आदि पर आक्षेप करने वाली प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए और हाल ही में वास्तविक घटनाओं पर आधारित विवादास्पद विषयों से बचना चाहिए। चर्चा के लिए प्रस्तावित मूल सिद्धांतों को समझाने के लिए परिकल्पनात्मक विषयों पर आधारित मामलों को लेना वांछनीय होगा। "युवा संसद सत्र" संचालित करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए 'करने' और 'न करने' योग्य बातों की एक सूची **<u>अनुबंध-ख</u>** पर दी गई है।

6. <u>भाषा</u>

प्रतिभागी अंग्रेजी/हिन्दी में बोल सकते हैं।

7. <u>स्थान</u>

प्रत्येक संस्था उपलब्ध सुविधाओं की सहायता से साधारणतया अपने "युवा संसद सत्र" का आयोजन अपने ही परिसर में करेगी। अनावश्यक व्यय से बचा जाना चाहिए।

8. <u>राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का मूल्यांकन</u>

राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक टीम के निष्पादन का मूल्यांकन निर्णायकों के एक दल द्वारा किया जाएगा जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे:-

1. सांसद/पूर्व सांसद;
2. संसदीय कार्य मंत्रालय का एक अधिकारी; और
3. किसी गैर-प्रतिभागी संस्था से कोई प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, अधिमानत: संसदीय कार्य मंत्रालय/ग्रुप समन्वयक के परामर्श से।

इस मूल्यांकन के आधार पर "राष्ट्रीय विजेता" का चयन करने के लिए एक वरीयता सूची बनाई जाएगी। व्यक्तिगत निष्पादनों का भी मूल्यांकन किया जाएगा और चुनी गई टीम के सदस्यों को पुरस्कार उनके योग्य निष्पादन के आधार पर प्रदान किए जाएंगे।

राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाली संस्थाओं का चयन विभिन्न संस्थाओं के बीच आयोजित ग्रुप स्तर की प्रतियागिताओं के आधार पर किया जाएगा।

[ग्रुप स्तर की प्रतियागिताओं का मूल्यांकन एक दल द्वारा किया जाएगा जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे:-

i) सांसद/पूर्व सांसद;

ii) किसी ग्रुप में प्रतिभागिता नहीं करने वाली संस्थाओं में से संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाने वाला कोई ग्रुप समन्वयक जो उस ग्रुप में सभी संस्थाओं की युवा संसद की अल्पावधि बैठकों के निष्पादन का मूल्यांकन करेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त ग्रुप समन्वयक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्था द्वारा जिस सांसद/पूर्व-सांसद की व्यवस्था की गई है, उसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो।

iii) किसी गैर-प्रतिभागी संस्था से कोई प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, ***अधिमानत: ग्रुप समन्वयक के परामर्श से निर्णय किया जाएगा।***]

9. <u>शील्ड, ट्रॉफियां, पुरस्कार आदि</u>

राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे:-

(क) <u>चल वैजयन्ती (रनिंग शील्ड)</u>

राष्टीय स्तर पर प्रथम घोषित की जाने वाली संस्था को एक चल वैजयन्ती प्रदान की जाएगी। यदि कोई संस्था विशेष लगातार तीन वर्ष तक शील्ड को जीतती रहे तो वह शील्ड उस संस्था के पास स्थायी रूप से रहेगी।

(ख) <u>ट्रॉफियां</u>

i) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम घोषित की जाने वाली संस्था को एक और ट्रॉफी प्रदान की जायेगी।

ii) राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाली अन्य संस्थाओं को प्रतियोगिता के प्रथम चरण (ग्रुप स्तर) में अपने-अपने ग्रुप में प्रथम स्थान प्राप्त करने के नाते एक-एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।

[ऊपर (i) और (ii) पर उल्लिखित ट्रॉफियां संबंधित संस्थाओं द्वारा अपने पास रखी जाएंगी।]

(ग) <u>पुरस्कार और प्रमाण-पत्र</u>

i) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मूल्यांकन समिति द्वारा योग्य निष्पादन के लिए चुने गए विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।

ii) टीम के समन्वयक को प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे।

(इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आने वाली संस्था की टीम के प्रत्येक विद्यार्थी सदस्य को एक प्रमाण-पत्र और पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।)

मूल्यांकन समिति द्वारा योग्य निष्पादन के लिए चुनी गई प्रत्येक प्रतिभागी संस्था के विद्यार्थी को पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। ग्रुप स्तर पर मूल्यांकन समिति द्वारा अधिकतम 6 विद्यार्थियों का पुरस्कारों और प्रमाणपत्रों के लिए चयन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन समिति द्वारा अधिकतम 8 विद्यार्थियों का पुरस्कारों और प्रमाणपत्रों के लिए चयन किया जाएगा।

(घ) प्रतियोगिता के ग्रुप स्तर पर, समन्वयक को एक प्रमाणपत्र के अतिरिक्त, इस मंत्रालय द्वारा प्रत्येक प्रतिभागी शैक्षिक संस्था की टीम के सदस्यों में से अधिकतम 6 (छह) विद्यार्थियों का निम्न प्रकार से व्यक्तिगत पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए चयन किया जा सकता है:-

i)	प्रथम पुरस्कार	-	एक
ii)	द्वितीय पुरस्कार	-	एक
iii)	तृतीय पुरस्कार	-	एक
iv)	विशेष पुरस्कार	-	तीन

10. <u>पुरस्कार वितरण समारोह</u>

पुरस्कार वितरण समारोह प्रतियोगिता समाप्त होने के पश्चात संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा उपयुक्त तारीख और स्थान पर आयोजित किया जाएगा। समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं को चल-वैजयन्ती और ट्रॉफियां तथा विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली संस्था पुरस्कार वितरण समारोह में चुनिंदा दर्शकों के सामने अपने "युवा संसद सत्र" का पुन: प्रदर्शन करेगी। इस "युवा संसद सत्र" की समयावधि 55 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय समारोह के लिए तारीख और स्थान नियत करेगा ***जैसा कि गतिविधियों का कलैंडर उप-शीर्षक के अंतर्गत योजना के पैरा 3 में उल्लिखित है***/ पुरस्कारों का वितरण किसी उच्च पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस समारोह में भाग लेने के लिए अति विशिष्ट (वी.आई.पी.) और अन्य व्यक्तियों को निमंत्रण-पत्र संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे जो इस समारोह का सम्पूर्ण व्यय उठाएगा जैसे कि:-

निम्नलिखित मदों पर खर्च:

(क) हाल/शामियाने का किराया;
(ख) बिजली एवं बैठने की व्यवस्था;
(ग) निमंत्रण पत्रों की छपाई;
(घ) डाक खर्च एवं लेखन सामग्री;
(ङ) जलपान; और
(च) अन्य आकस्मिक खर्च।

पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाली संस्थाओं के प्रभारी-अध्यापक और पुरस्कार विजेता विद्यार्थी भाग लेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय विद्यार्थियों को रेल की 3ए.सी. श्रेणी के किराए तक सीमित रहते हुए यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति करेगा। विद्यार्थियों के साथ आने वाले अनुरक्षक अध्यापकों को उनकी हकदारी की श्रेणी के रेल किराए तक सीमित रहते हुए यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनुरक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को केवल उनके प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

यह मंत्रालय दिल्ली में पुरस्कार वितरण में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के सभी भाग लेने वाले विजेता विद्यार्थियों, अध्यापकों और अनुरक्षकों के लिए भोजन और आवास की अपेक्षित व्यवस्था करेगा।

11. <u>वित्तीय सहायता</u>

i) संसदीय कार्य मंत्रालय पहले चरण (ग्रुप स्तर) की प्रतियोगिताओं के लिए प्रत्येक संस्था द्वारा युवा संसद सत्र आयोजित करने के लिए किए गए व्यय की **रू.25,000/- (रूपये पच्चीस हजार)** तक प्रतिपूर्ति करेगा। जो संस्था योग्य पाई जाती हैं और प्रतियोगिता के दूसरे चरण (राष्ट्रीय स्तर) भाग लेती है, उसे **रू.25,000/- (रूपये पच्चीस हजार)** तक की अतिरिक्त राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। किसी भी मामले में व्यय की प्रतिपूर्ति **व्यय के विवरण और संगत वाउचर प्राप्त होने पर** ही की जायेगी। **संसद सदस्यों और भूतपूर्व संसद सदस्यों को क्रमश: रू.2000/- और रू.1200/- की दर स्वीकार्य दैनिक भत्ता ग्रुप स्तर पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा जबकि राष्ट्रीय स्तर पर संसद सदस्य या भूतपूर्व संसद सदस्य को दैनिक भत्ते का भुगतान इस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।**

ii) संसदीय कार्य मंत्रालय समन्वयकों/ग्रुप समन्वयकों द्वारा की गई यात्राओं के संबंध में किए गए व्यय के लिए उनकी हकदारी के अनुसार विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्था के कुल सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वास्तविक यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते या इकोनॉमी श्रेणी में सबसे सस्ते हवाई यात्रा (सबसे छोटे मार्ग से) के किराए, जो भी कम होगा, की भी प्रतिपूर्ति करेगा। ऊपर उल्लिखित हवाई यात्रा किराया अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए संस्था से आयोजन स्थल और वापस जाने के अतिरिक्त मूल्यांकन दी के सदस्य के रूप में अनुसूचित समय के भीतर ग्रुप स्तर की प्रतियोगिता पूरी करने के लिए है। समन्वयक/ग्रुप समन्वयक अपनी-अपनी संस्थाओं में निर्धारित किए गए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के दावे के मानक प्रारूप में अपने दावे प्रस्तुत करेंगे और उन्हें विश्वविद्यालय द्वार प्रायोजित किए गए महाविद्यालय/संस्था के कुलपति/कुल सचिव/प्रधानाचार्य/निदेशक से विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित कराके संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेंगे।

<u>अनुबन्ध-क</u>

विभिन्न युवा संसद सत्रों में और अभिविन्यास पाठ्यक्रमों के दौरान वाद-विवाद किए गए विषयों और प्राप्त सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए "युवा संसद प्रतियोगिता" हेतु अपनाई गई योजना के नियमों और विनियमों में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त चर्चा हेतु प्रस्तावित कुछ विषय

1. क्या संसद के पास विधान बनाने के लिए असीमित शक्तियां होनी चाहिएं?
2. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन - आबंटन कैसे करना चाहिए/कार्य के निष्पादन को कैसे मानीटर किया जाना चाहिए?
3. संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 में निहित जीने के अधिकार पर केन्द्रित रहते हुए मानवाधिकार।
4. विधायी निकायों और सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण।
5. विधायकों के लिए कुछ न्यूनतम शिक्षा और लोक सेवा के अनुभव की आवश्यकता।
6. मानवता के विकास पर केन्द्रित रहते हुए राष्ट्रीय अखण्डता।
7. प्रोत्साहन देने/न देने के विधान पर केन्द्रित रहते हुए जनसंख्या नियंत्रण और नीति से संबंधित मामले।
8. भ्रष्टाचार पर केन्द्रित रहते हुए चुनाव सुधार।
9. विधायकों को अपने भत्ते (पर्क्स) स्वयं निश्चित करने का अधिकार। अन्यथा कैसे तय करें?
10. त्रिशंकु संसद की स्थिति में एक सक्षम और स्थिर सरकार उपलब्ध कराने के तरीके।
11. विधायकों के लिए विशेषाधिकार और आचार संहिता।
12. सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अकार्यकुशलता की रोकथाम के तरीके।
13. काम चलाऊ (केयरटेकर) सरकार - हैसियत और कार्यचालन।
14. सरकार का राष्ट्रपतीय रूप।
15. आनुपातिक प्रतिनिधित्व/सूची प्रणाली।
16. लोगों को अच्छे शासन का अधिकार।
17. विधायी निकायों में खिलाड़ियों, चुनी हुई सुंदरियों और फिल्मी कलाकारों का आरक्षण।

<u>अनुबन्ध-ख</u>

युवा संसद प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों के लिए करने और न करने योग्य बातें।

1. युवा संसद प्रतियोगिता में भाग लेने वाली संस्थाओं और विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह योजना एक अनूठी योजना है। इसका उद्देश्य इन युवा संसदों को भावी संसदविदों की नर्सरी बनाना है। यदि इस योजना को ठीक-ठाक कार्यान्वित किया जाए और यदि इसके आयोजक कर्तव्य और समर्पण की भावना से ओत-प्रोत हो तो संभवत: यह हमारे राष्ट्रीय चरित्र और दृष्टिकोण में चहुंमुची विकास के रूप में अत्यधिक लाभदायक होगी। संस्थाओं को प्रतियोगिता में भाग लेने की स्वेच्छा प्रकट करते समय इस पहलू को सदैव ध्यान में रखना चाहिए।

2. यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र एक राजनीतिक प्रणाली प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक को चर्चा और वाद-विवाद के माध्यम से ऐसे एक स्वैच्छिक समझौते पर पहुंचने के प्रयास में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है कि सम्पूर्ण समाज की भलाई के लिए क्या किया जाए। यह सामाजिक नीति संबधी फैसले सड़कों पर करने के तरीकों को रोकती है क्योंकि ये रास्ते तानाशाही के हैं लोकतंत्र के नहीं। इस प्रकार युवा संसद की योजना विद्यार्थियों में अपनी शक्ति को स्वस्थ तथा रचनात्मक कार्यकलापों में लगाने के एक आन्दोलन की शुरूआत में सहायक होगी ताकि वे कल के सुयोग्य नागरिक बन सकें।

3. इन युवा संसदों में चर्चा के लिए चुने जाने वाला विषय यथासम्भव विवाद रहित होना चाहिए। उन्हें मुख्यत: शिक्षण संस्थानों संबंधी समस्याओं और उनको पेश आने वाली दिन-प्रतिदिन की समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए। विषय का संबंध कल्याणकारी क्रियाकलापों, देश की सुरक्षा, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास, सांप्रदायिक सद्भाव, अनुशासन, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और मानवाधिकार आदि से होना चाहिए।

4. "युवा संसद" की कार्यसूची के दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग "प्रश्न" और "वाद-विवाद" अथवा "चर्चा" हैं। प्रश्न-काल के दौरान पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता और मंत्रियों द्वारा दिए गए उत्तरों की गुणवत्ता द्वारा निर्णायकों के प्रभावित होने की सम्भावना है। वाद-विवाद अथवा चर्चा के दौरान वे विशेष रूप से वाद-विवाद के स्तर और अभिव्यक्ति की गुणवत्ता को देखते हैं।

5. प्रतिभागियों को देश के वर्तमान राजनीतिक दलों और राजनीतिक व्यक्तियों का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने दलों और व्यक्तियों को काल्पनिक अथवा बनावटी नाम देने चाहिए। उन्हें ऐसा कोई भी विचार प्रकट नहीं करना चाहिए जिससे ऐसा प्रतीत हो कि वे

किसी राजनीतिक दल अथवा दर्शन के प्रति झुकाव अथवा पूर्वाग्रह रखते हैं अथवा विरोध करते हैं।

6. यह भाग लेने वाली संस्थाओं के हित में होगा यदि वे अपने यहां "स्थायी युवा संसद" बना लें जो "वाद-विवाद समितियों" के रूप में उनके विद्यार्थियों में वाद-विवाद की प्रतिभा विकसित करने के लिए कार्य करेंगी। इस प्रकार प्रतिभागियों के लिए नामों का चयन करते समय इन “संसदों” में से प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को चुना जा सकता है।

7. प्रतिभागियों को सभापति के प्रति अत्यधिक आदर दिखाना चाहिए। उन्हें सभापति के निर्णयों का पूरी तरह पालन करना चाहिए और उनकी निष्पक्षता तथा निर्णय में विश्वास रखना चाहिए।

8. प्रत्येक सदस्य को सदन की बैठक में भाग लेने के लिए सदन के अन्दर आते समय और सदन को छोड़कर जाते समय सभापति की ओर आदरपूर्वक झुककर उनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए।

9. सदस्यों को सभा में ऐसी कोई बात नहीं कहनी अथवा करनी चाहिए जो प्रक्रिया संबंधी नियमों या निदेश या पूर्व दृष्टान्त अथवा सभा द्वारा स्वीकृत एवं स्थापित परम्पराओं और परिपाटियों द्वारा उचित नहीं है।

10. विदेशी मैत्री-पूर्ण सरकारों के साथ हमारे देश के संबंधों को प्रभावित करने वाले संवेदनशील नीति सम्बधी मामलों अथवा देश और इसकी वर्तमान सरकार के लिए परेशानी करने वाले मामलों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

11. जब सभा की बैठक चल रही हो किसी भी सदस्य को इधर से उधर नहीं जाना चाहिए अर्थात् उसे सभापति और भाषण कर रहे किसी सदस्य के बीच से कभी नहीं गुजरना चाहिए। इस नियम को भंग करना संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन माना जाता है।

12. सदस्यों को सभापति की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। जब कोई सदस्य बोलना चाहे तो सभापति का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे हाथ खड़ा करना चाहिए। किसी सदस्य को तब तक बोलना नहीं चाहिए जब तक उसने अध्यक्ष को अपनी ओर मुखातिब न कर लिया हो और सभापति द्वारा नाम लेकर अथवा बोलने के लिए संकेत द्वारा उसे आज्ञा न दे दी गई हो।

13. ज्योंही अध्यक्ष बोलने के लिए उठें अथवा "व्यवस्था" (आर्डर-आर्डर) का शब्द पुकारें और उस ‘समय’ जब कोई अन्य सदस्य सभा में भाषण कर रहा हो, प्रत्येक सदस्य को अपनी जगह ग्रहण कर लेनी चाहिए। दो अथवा उससे अधिक सदस्यों को एक ही समय पर खड़े नहीं रहना चाहिए।

14. जब अध्यक्ष सभा को संबोधित कर रहे हों तो किसी सदस्य को उठना नहीं चाहिए अथवा सदन को छोड़कर जाना नहीं चाहिए। "अध्यक्ष को सदैव शान्तिपूर्वक सुनना चाहिए।"

15. किसी सदस्य को लिखित भाषण नहीं पढ़ना चाहिए। तथापि, कोई सदस्य जब कभी अपने तैयार किए गए भाषण या विषय से विचलित हो जाए तो उसे अपने नोट्स देखने की स्वतन्त्रता है।

16. किसी सदस्य की नेकनीयति पर आरोपण या प्रश्नों के माध्यम से व्यक्तिगत टिप्पणियों का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। किसी सदस्य को सभा के व्यष्टि सदस्यों को संबोधित नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा सभापति को संबोधित करना चाहिए और अन्य सदस्यों के प्रति सभी टिप्पणियां सभापति के माध्यम से करनी चाहिए।

17. सदस्यों को सदन के परिसर के अन्दर अथवा विधानमंडल के भीतर ऐसी प्रश्नावली अथवा पुस्तिका (पम्पलेट) नहीं बांटनी चाहिए जो सदन के कार्य से संबंधित नहीं हों।

18. सदस्य चर्चा में भाग लेते समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। तथापि, यदि कोई सदस्य किसी अन्य भाषा में बोलना चाहे तो अध्यक्ष की आज्ञा से वह ऐसा कर सकता है, लेकिन बोलने से पहले उसे अपने भाषण के अनुवाद की एक अग्रिम प्रति प्रस्तुत करनी जरूरी है।

19. संक्षेप में इन युवा संसदों में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का आचरण इस प्रकार का होना चाहिए जिससे संसद और संसदीय संस्थाओं के प्रति सम्मान उत्पन्न हो।

अनुबंध-ग

स्वेच्छा प्रमाणपत्र

यदि मुझे संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा ग्रुप समन्वयकर्ता नियुक्त किया जाता है तो, मैं .....योजना में उल्लिखित निबंधन और शर्तों पर ग्रुप समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए एतद्द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करता/करती हूं।

तारीख:

हस्ताक्षर .....

नाम.....

संस्था .....

अनुबंध-घ

सितंबर तक ग्रुप स्तर के मूल्यांकन की तारीख (तारीखें)

मुझे जिस ग्रुप के समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है उसके संबंध में पहले स्तर के मूल्यांकन की संभावित तारीखें निम्न प्रकार हैं:-

1. .....
2. .....
3. .....

तारीख:

हस्ताक्षर .....

नाम.....

संस्था .....

अनुबंध-ड.

दिसंबर तक राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन की तारीख (तारीखें)

यदि यह संस्था ग्रुप स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करती है तो प्रतियोगिता के दूसरे स्तर के मूल्यांकन की संभावित तारीखें निम्न प्रकार हैं। यह तारीखें ग्रुप स्तर के समन्वयकर्ता की सुविधा के अधीन रहते हुए हैं:-

1. .....
2. .....
3. .....

तारीख: हस्ताक्षर .....

नाम.....

संस्था .....

*****